प्रेस विज्ञप्ति

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जे0 एस0 पाण्डेय के द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से वर्ष 2020 एवं इसके पूर्व के वर्षों में इन्टरमीडिएट प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्रा जो प्रोत्साहन राशि से अब तक वंचित है, उन्हें प्रोत्साहन प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया है। साथ ही मौलवी एवं फौकनियाँ में मदरसा बोर्ड से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2015 से 2017 तक प्रथम श्रेणी में उर्त्तीण मैट्रिक एवं इण्टर तथा वर्ष 2014 से 2016 तक द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण मैट्रिक एवं इण्टर के वैसे छात्र जो प्रोत्साहन राशि से वंचित है वे भी प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु निम्न कागजात की छाया प्रति अपने संबंधित विद्यालय/कॉलेज से अभिप्रमाणित कर संस्थान या अपने स्तर से जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, बक्सर में जमा करा देः–

1. अंक प्रमाण–पत्र।
2. प्रवेश प्रमाण–पत्र।
3. छात्रा का मोबाईल न0 एवं ई–मेल।
4. आधार कार्ड।
5. बैंक खाता जो आधार से लिंक हो।(वर्ष 2020 तक का पासबुक अपडेट कॉपी के साथ)
6. निवास प्रमाण–पत्र।

उपरोक्त माँगी गयी वांछित कागजात एक सप्ताह के अन्दर जमा करा दे। छात्राओं को प्रोत्साहन राशि वितरण हेतु प्राप्त आवंटन वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्त होने पर वापस हो जाएगी।

03/12/20

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,
बक्सर।

03/12/2020